न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 86 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. उम्मेदसिंह पुत्र मालमसिंह	01.	अर्जुनसिंह पुत्र शंभुसिंह
02. भागीरथसिंह पुत्र मालमसिंह	02.	ऐजुकंवर पत्नी शम्भुसिंह
03. झलककंवर पुत्री मालमसिंह (प्रार्थीगण तमाम नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मालमसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ाबींजा तह0 सोजत जिला पाली राज0।)	03.	गणपतसिंह पुत्र शम्भुसिंह
	04.	भंवरकंवर पुत्री शम्भुसिंह
	05.	राजूसिंह पुत्र शम्भुसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण गुड़ाबींजा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
	06.	तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री रवीन्द्रसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 07/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा बिंजा तह0 सोजत के खसरा नंबर 788 रकबा 0.2200 है0 की कृषि भूमि जो प्रार्थी मालमसिंह के तीनों नाबालिग पुत्र एवं पुत्रीयों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसकी वजह से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त पिता मालमसिंह का ही चला आ रहा है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से खसरा नम्बर 788 व 787 के बीच स्थायी रूप से माठ कायम है। अप्रार्थी संख्या 1 ही कर्ताखानदान है और वह भी मौके पर माठ सम्बधित विवाद पैदा करता है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा मेहन्दी की फसल होने से इनके खसरे में कभी टैक्टर द्वारा कोई खड़ाई नही होती है तथा मेहन्दी की फसल होने से मौके पर माठ भी इधर उधर नहीं की जा सकती है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुनसिंह द्वारा बार बार टैक्टर चला कर तोड़ दी जाती है और झगड़ा फसाद प्रार्थीगण के पिता के साथ करता रहता है और कहता है कि मेरी माठ तेरे मेहन्दी के खेत के 2—3 फुट अन्दर आती है, जबकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा पूर्व में भी दिनांक 02/12/2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष सीमांकन / सीमाज्ञान बावत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा हल्का पटवारी को उक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बरान के बीच की माठ का सीमाज्ञान करवाने हेतु आदेश दिया गया, जिस पर दिनांक 26/04/2023 को हल्का पटवारी मौके पर आया और

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दोनो पक्षो को सीमाज्ञान हेतु हल्का पटवारी द्वारा सूचित किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 जानबुझकर के हल्का पटवारी के समक्ष विवादग्रस्त स्थल पर हाजिर नहीं हुआ, प्रार्थीगण के पिता व नायब तहसीलदार बगड़ी व आर.आई. साहब व हल्का पटवारी व पड़ौसी पटवारी चण्डावल स्टेशन मैजररसिंह व हल्का पटवारी गुडारामसिंह संजय मेवाड़ा की पुरी टीम मौके पर आई और खसरा नम्बर 788 व 787 दोनो खसरो का चारो दिशाओ से माप चौक किया गया तो खसरा नम्बर 788 व 787 के बीच की माठ, रकबा व नक्शे के अनुसार मौके पर सही कायम की गई पाई गई, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 बार बार मौके पर माठ को लेकर झगडा फसाद करता है तथा एक दो बार प्रार्थीगण के पिता के खिलाफ पुलिस थाना बगड़ी में अप्रार्थी संख्या 1 ने झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 बदमाश व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो आये दिन प्रार्थीगण के पिता को तंग व परेशान करता रहता है और अप्रार्थी संख्या 1 कई बार खसरा नम्बर 788 में खड़ी मेहन्दी के अन्दर जाकर पत्थरगढ़ी कर देता है तो प्रार्थीगण के पिता द्वारा पत्थर हटा दिये जाते है, अभी प्रार्थीगण के पिता अपने रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ था तो पिछे से दिनांक 17/06/2023 को मौका पाकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 788 में खड़ी मेहन्दी की फसल के अन्दर करीब 2–3 फुट जगह को कवर करते हुये पट्टीयों लगाकर तारबन्दी कर दी गई है, ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी व सीमांकन ज्ञान के लिये एक विशेष टीम को गठित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद करते हुये व मौके पर उपस्थित रहने के आदेश पारित करते हुये एक बार खसरा नम्बर 788 व 787 दोनो खसरो को पूर्ण रूप से चारो कोनो से माप चौक कर खसरा नम्बर 788 व 787 के बीच की माठ स्थायी रूप से कायम कर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कर मौके पर मुडाम लगवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा गुड़ाबींजा के खसरा नम्बर 788 व 787 के बीच की माठ का सही सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढ़ी करने के साथ ही मुडाम तहसीलदार सोजत की उपस्थिति में लगवाये जाने के आदेश पारित किये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 788 में जो अवैध रूप से, जोर जबरदस्ती पट्टीयों लगा कर जो तारबन्दी कर रखी है, उसे भी हटवाये जाने के आदेश प्रदान करवाये जाने का निवेदन किया हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 से 6 बावजूद सूचना/तामिल बार–बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रवीन्द्रसिंह जैतावत ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा गुड़ावींजा के खसरा नम्बर 788 व 787 के बीच की माठ का सही सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढ़ी करने के साथ ही मुडाम तहसीलदार सोजत की उपस्थिति में लगवाये जाने के आदेश पारित किये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 788 में जो अवैध रूप से, जोर जबरदस्ती पट्टीयों लगा कर जो तारबन्दी कर रखी है, उसे भी हटवाये जाने के आदेश प्रदान करवाये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 के खसरा नंबर 788 व 787 की मांठो के मध्य कोई विवाद नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, न ही पूर्व में सीमांकन/सीमाज्ञान बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया, की प्रति भी पेश नहीं की हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तामील/तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत